न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
05/2025	111, 128 LRA	20.01.2025	24.04.2025

1. नबाब अली खान पुत्र बिसारत खान,
2. श्रीमती हफीज बानो पत्नी नवाब अली खान, जाति कायमखानी (मुस्लिम), निवासी वार्ड सं. 08 सहजूसर, तहसील व जिला चूरू जरिये मुख्यतयार शमशेर खान पुत्र नबाब अली खान जाति कायमखानी (मुस्लिम), निवासी वार्ड सं. 08, सहजूसर, तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. लेलूराम पुत्र गोमा राम, जाति–मेघवाल, निवासी कड़वासर, जिला चूरू
2. भगवानाराम पुत्र गोमा राम, जाति–मेघवाल, निवासी कड़वासर, जिला चूरू
3. गुड्डी पुत्री गोमा राम, जाति–मेघवाल, निवासी कड़वासर, जिला चूरू
4. शान्ति देवी पत्नी गोमा राम, जाति–मेघवाल, निवासी कड़वासर, जिला चूरू
5. केशराराम पुत्र मालाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–कड़वासर जिला चूरू
6. कानाराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी कड़वासर जिला चूरू
7. ख्यालीराम पुत्र गीगाराम जाति नायक निवासी कड़वासर जिला चूरू
8. जगदीश पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी कड़वासर जिला चूरू
9. जिवणी पुत्री मोहनराम जाति–नायक निवासी कड़वासर जिला चूरू
10. धन्नाराम पुत्र चेतनराम जाति नायक निवासी कड़वासर जिला चूरू
11. नरेन्द्र पुत्र निमाराम जाति नायक निवासी कड़वासर जिला चूरू
12. हुणताराम पुत्र पाला राम जाति मेघवाल निवासी सजहूसर चूरू
13. हीरा राम पुत्र मोहनराम जाति नायक निवासी–कड़वासर जिला चूरू
14. उम्मेदसिंह पुत्र घनश्यासिंह, जाति राजपूत निवासी–बिकासी जिला चूरू
15. नरेन्द्रसिंह पुत्र महावीर सिंह, जाति राजपूत निवासी–बिकासी जिला चूरू
16. भंवर कंवर पत्नी महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी–बिकासी जिला चूरू
17. विरेन्द्र सिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी–बिकासी जिला चूरू
18. मुकना राम पुत्र हनुमानाराम, जाति मेघवाल, निवासी– कड़वासर जिला चूरू
19. उम्मेदसिंह पुत्र सूरजमालसिंह जाति राजपूत निवासी–कड़वासर जिला चूरू
20. विक्रमसिंह पुत्र कल्याणसिंह, जाति राजपूत निवासी–कड़वासर जिला चूरू
21. परमेश्वर लाल पुत्र दानाराम, जाति मेघवाल, निवासी –कड़वासर जिला चूरू
22. महेन्द्र कुमार पुत्र दानाराम, जाति मेघवाल, निवासी–कड़वासर जिला चूरू
23. जगदीश प्रसाद पुत्र ओंकारमल, जाति ब्राह्मण, निवासी–कड़वासर, जिला चूरू
24. रोहित पुत्र राधेश्याम, जाति ब्राह्मण, निवासी–कड़वासर, जिला चूरू
25. सत्यनारायण पुत्र ओंकारमल, जाति ब्राह्मण, निवासी–कड़वासर, जिला चूरू
26. तहसीलदार साबह, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

44.

— अप्रार्थी—

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम प्रार्थी
2 अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह संख्या 01 से 03,05, 20
3 अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी अप्रार्थी संख्या 06 से 11, 13
4 पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि खेत ख. नं. 659/93 रकबा 3.7560 हैक्टेयर, भूमि रोही कड़वासर, पटवारी हल्का— सहजूसर, भू.अ.नि. क्षेत्र— झारिया, तहसील व जिला चूरू में प्रार्थीनी— हफीजबानो पत्नी नवाब अली खान एवं खेत ख नं. 291 रकबा 0.7588 हैक्टयर, खेत खं नं. 658/93 रकबा 2.9845 हैक्टेयर, कुल खसरा 02, भूमि रोही कड़वासर, पटवारी हल्का— सहजूसर, भू.अ.नि. क्षेत्र— झारिया, तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी नवाब अली खान पुत्र बिसारत खान के खातेदारी वा कब्जा काश्त की है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ पेश है।

2. यह की प्रार्थीगण ने अपने पुत्र शमशेर खान पुत्र नवाब खान को जरिये Notatized Attested power of Attorney Dt- 20-07-2021(13-09-2021) से उपर्युक्त कृषि भूमि की देखरेख व अन्य आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकार प्रदान किये हैं— मुख्यत्यार— आम की प्रतिलिपि इस प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि प्रार्थीगण के खेतो के चिपते ही उतर की तरफ खेत— कृषि भूमि ख. नं. 91, 92, 880/536, 293 है जिनमें कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 व 293 रोही कड़वासर चूरू स्थित है— जिनमे कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 व 235 रोही कड़वासर चूरू को अप्रार्थी संख्या 06 से 13 काश्त करते है तथा 6 से 13 के सहखातेदारी वा कब्जा कश्त की भूमि है— इसी प्रकार कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 880/536 रोही कड़वासर चूरू को अप्रार्थी संख्या 01 से 4 काश्त करते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 सहखातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है एवं कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 92 रोही कड़वासर चूरू अप्रार्थी संख्या 14 से 17 काश्त करते है तथा अप्रार्थी सं. 14 से 17 एवं अन्य के सहखातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है प्रार्थीगण के खेत उतरी सींव को काटकर अपने खेत की सीमा में ले लेते है तथा काश्त के मौसम में नाहक की मुझ प्रार्थी है अप्रार्थीगण ... को लेकर तनाजा रहता है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

44.

अप्रार्थीगण काश्त करते समय सींव काटकर अपने खेत की सीमा को बढा लेते है तथा काश्त के मौसम में नाहक ही मुझ प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण तनाजा वा झगड़ा फसाद करते रहते है प्रार्थीगण को यह विश्वास है कि अप्रार्थीगण सं. 01 ता 13 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि को दबाया जाकर– प्रार्थीगण की भूमि में प्रेवेश किया हुआ हैं– प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीण को कई बार सीमांकन करने हेतु व प्रार्थीगण की भूमि की सीमा ले लगते निशानदेही मानने को करने एवं मानने से इंकार हो गया इस प्रकार से दोनो खेतो के मध्य पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा हो गया इस प्रकार से दोनो खेतो के मध्य पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है इसलिए प्रार्थीण को लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पुख्ता सीमांकन करवाया जाकर पत्थर गढी करवायी जावें जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि इस प्रकार से अप्रार्थी सं. 23 से 25 जगदीश प्रसाद पुत्र ओंकारमल, रोहित पुत्र राधेश्याम, एवं सत्यनारायण पुत्र ओंकारमल, आदि प्रार्थीगण के खेतो के दक्षिणी की तरफ लगती सीमा का चिपते खेत ख. नं. 94 च 290 रोही कड़वासर चूरू का सहखातेदारान है वा काश्त करते आ रहे है– इस प्रकार से अप्रार्थी सं. 19–20 उम्मेदसिंह पुत्र सूरजमालसिंह विक्रमसिंह पुत्र कल्याणसिंह, प्रार्थीगण के खेत के पूर्वी तरफ स्थित कृषि भूमि खेत ख नं. 877/95 के सहखातेदारान है तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 5 केशरा राम पुत्र मालाराम, खेत खसरा सं. 719/480 का एक मात्र खातेदार– जो भी खेतो की सीमा को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करता है अप्रार्थी सं. 21–22 परमेश्वरलाल पुत्र दानाराम, महेन्द्र कुमार पुत्र दानाराम प्रार्थी के खेत के पश्चिमि तरफ स्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं. 479/289 के सहखातेदार एवं अप्रार्थी सं. 18 मुकनाराम पुत्र हनुमाना राम– कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 913/720, का एक मात्र खातेदार है– उक्त खेतो की सीमा भी प्रार्थीगण के खेत से लगती है तथा उक्त सीमाए भी मौके की सीमा भी प्रार्थीण के खेत से लगती है तथा उक्त सीमाए भी मौके पर स्पष्ट अंकन नहीं है इसलिए अप्रार्थीण का प्रार्थीगण से काश्त के समय मनमुटाव सीमा को लेकर बना रहता है चूंकि प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है जो विधिवत रूप से अपने खातेदारी की कृषि भूमि का नियमानुसार पत्थरगढी करवाकर सीमांकन करवाना चाहते है ताकि भविष्य में उक्त खेतो के पड़ौसियों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 ये 25 प्रार्थीगण के खेतो के सीमा पड़ौसी है और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए इन सभी अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि पत्थरगढी व निशान देही में लगने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी तहसीलदार साहब चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है-- यहां यह भी उल्लेख किया जाता हैं कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खेत की नपती बाबत प्रार्थना पत्र देने पर प्राप्त पटवारी हल्का – सहजूसर की रिपोर्ट की प्रमाणि प्रति भी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं । अप्रार्थी सं. 26 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है– तहसीलदार महोदय उक्त कृषिभूमि के स्वामी है एवं पत्थगढी इन्हीं के मार्फत की जानी है बतः धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना--पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण की कृषि भूतिम खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 0.7588 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 291 रकबा 0.7588 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 658/93 रकबा 2.9845 हैक्टेयर भूमि रोही कड़वासर चूरू तहसील चूरू की अप्रार्थी सं. 26 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत मे पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 03, 01, 05, 20 की ओर से अधिवक्ता सुमेरसिंह ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 18 की ओर से अधिवक्ता दलीप खान ने वकालत नामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 4, 12, 14 से 19 व 21 से 25 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी सं. 06 से 11 व 13 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र डुडी ने वकालतन नामा पेश कर प्रार्थना–पत्र 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कुछ हितबद्ध पक्षकारों के प्रार्थना--पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया अतः प्रार्थना –पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को खारिज किया जावे जिस प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना जाकर आदेश पारित किया गया कि चूंकि सम्बन्धित पक्षकारों की ओर से कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गई व पत्थर गढी की कार्यवाही समस्त हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में की जानी है अतः प्रार्थना पत्र 151 सी.पी. सी. अस्वीकार की जाकर खारिज किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिए जाने पर अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया। जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस सनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण खेत खसरा 291, 658/93, 659/9[illegible] रिपोर्ट पटवारी सहजूसर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

02.07.2021 के अनुसार वादगत कृषि भूमि खेत खसरा 291, 658/93, 659/93 रोही ग्राम कड़वासर का सीमांकन करवाया गया है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन से

प्रस्तुत वाद राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 एवं 128 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वादकर्ताओं नवाब अली खान पुत्र बिसारत खान एवं श्रीमती हफीज बानो पत्नी नवाब अली खान द्वारा यह प्रार्थना की गई कि उनकी खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई जाए। उनका कथन है कि उनकी कृषि भूमि खसरा संख्या 291, 658/93, 659/93 कुल रकबा 7.4993 हैक्टेयर, ग्राम रोही कड़वासर, पटवारी हल्का दृ सहजूसर, भू.अ. नि. क्षेत्र दृ झारिया, तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिस पर उनका विधिपूर्वक कब्जा व काश्त है। वादकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि के चारों ओर की सीमाओं पर अनेक खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, जो समय–समय पर विवाद उत्पन्न करते हैं तथा सीमाओं को काटकर खेती करते हैं। जिससे बार–बार झगड़े, तनाव एवं तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। वादकर्ता शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमांकन व पत्थरगढी कराना चाहते हैं। वादकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमांकन में लगने वाला समस्त व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संबंधित खेतों की जमाबंदी प्रतियाँ एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। कुछ अप्रार्थीगण ने अधिवक्ताओं के माध्यम से वकालतनामा प्रस्तुत किया, जबकि कुछ अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थिति अथवा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 6 से 11, 13 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र डूडी ने 151 सी.पी.सी. के तहत यह निवेदन किया कि कुछ हितबद्ध पक्षकार वाद में पक्षकार नहीं बनाए गए हैं, अतः वाद खारिज किया जाए। इस पर न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण को सुनने के बाद यह पाया गया कि सभी संभावित सीमावर्ती खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। सीमांकन कार्यवाही हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में की जानी है। कोई ठोस आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया गया। वादकर्ताओं की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। वादकर्ता उपरोक्त खसरा संख्याओं की भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। पटवारी हल्का सहजूसर की दिनांक 02.07.2021 की रिपोर्ट में सीमांकन की आवश्यकता को दर्शाया गया है। सीमांकन पूर्व में आंशिक रूप से किया गया, परंतु पत्थरगढी नहीं कराई गई, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। सीमावर्ती खेतों के खातेदारों से सीमा विवाद की संभावनाएं प्रकट हुई हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111,128 में यह प्रावधान है कि जब खातेदार की भूमि की सीमा ... सीमा स्पष्ट न हो तो सीमांकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

करवाने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में वादकर्ता की भूमि एवं सीमावर्ती भूमि के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय–समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाई जाए। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 659/93 रकबा 3.7560 हेक्टेयर एवं ख.स. 291 रकबा 0.7588 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 658/93 रकबा 2.9845 हैक्टेयर रोही कड़वासर, पटवार मण्डल सहजूसर तहसील व जिला चूरू का सीमांकन एवं पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार / नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 26 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested